राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1127/2010/जयपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान,घट–तृतीय,वृत–तृतीय,जयपुर — अपीलीथी

बनाम

मैसर्स आर. एन.फोर्जिंग प्रार.लि.,
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.06.2016

निर्णय

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट– तृतीय, वृत–तृतीय,जयपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से यह अपील उपायुक्त(अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 161/अपील्स–चतुर्थ/2008–09 में पारित अपील आदेश दिनांक 11.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 पारित कर शास्ति रू. 2,66,966/–आरोपित की गई शास्ति को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकर हैं कि दिनांक 09.09.2008 को वाहन संख्या आर.जे.27 जी ए–5342 को औद्यौगिक क्षेत्र बगरू में कर निर्धारण अधिकारी ने निरीक्षण किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स चौधरी लोजिस्टिक,गांधीधाम की बिल्टी संख्या 055, उर्मि ट्रेडर्स,गांधीधाम की इनवाईस क्रमांक 4 दिनांक 05.09.2008, फार्म वैट–47 क्रमांक 35121734 व फार्म नम्बर 402 क्रमांक 1765539 वास्ते जांच प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि इनवाईस क्रमांक 4 में माल की कीमत रू. 10,57,173/–अंकित है जबकि घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 3511734, फार्म नम्बर 402 क्रमांक 1765539 तथा बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 1,84,727/–अंकित की गयी है। उक्त प्रकार अंकित कीमत में अन्तर होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी को करापवंचन के सन्देह होने पर वाहन मय माल रोका गया एवं वाहन चालक को माल के क्रेता–विक्रेता को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया

गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी कम्पनी की ओर से अधिनियम की धारा 78 (7) के अन्तर्गत पक्षकार कनने हेतु निवेदन किया गया। उक्त निवेदन को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लेख किया गया कि घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 3511734, फार्म नम्बर 402 क्रमांक 1765539 तथा बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 1,84,727/–अंकित की गयी है जबकि इनवाईस क्रमांक 4 में माल की कीमत रू. 10,57,173/–अंकित कीमत से बहुत कम है, जो कर चोरी की नियत से जानबूझकर किया गया है। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी कम्पनी की ओर से जवाब पेश कर बताया कि घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 3511734, फार्म नम्बर 402 क्रमांक 1765539 तथा बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 1,84,727/–, जो इनवाईस क्रमांक 4 में माल की कीमत रू. 10,57,173/– से बहुत कम है, अंकित करने की गलती प्रेषक एवं ट्रांसपोर्टर कम्पनी की है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त गलती प्रत्यर्थी कम्पनी की मानते हुए घोषणा पत्र वैट–47 में अंकित कीमत रू. 1,84,727/– को इनवाईस में अंकित कीमत रू. 10,57173/– में कम करते हुए रू. 8,72,446/– को माल को बिना फार्म वैट–47 का होने के कारण इसमें भाडा राशि रू. 17,440/– जोडते हुए माल की कीमत रू. 8,89,888/–पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 2,66,966/–आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2010 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनवाईस क्रमांक 4 में माल की कीमत रू. 10,57,173/–अंकित है जबकि घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 3511734, फार्म नम्बर 402 क्रमांक 1765539 तथा बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 1,84,727/–अंकित की गयी है, जिसमें बहुत अन्तर है और उक्त कृत्य करापवंचन की मानसिकता से किया जाना प्रमाणित है। उनका कथन है कि दस्तावेजों में उक्त कीमत में अन्तर होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था,जिसका कोई सन्तोषजनक कारण जवाब में नहीं बताया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत अन्तर कीमत परी 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू 2,66,966/–आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण

के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त तर्को के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस की पालना में दिनांक 17.09.2008 को मय वाणिज्यिक कर अधिकारी,गांधीधाम के पत्र सहित विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था,जिसमें समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के अलावा संलग्न वैट–47 को शुद्ध किये जाने की अनुमति चाही गयी थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में, वाणिज्यिक कर अधिकारी,गांधीधाम के पत्र, प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्तों एवं तथ्यात्मक स्थिति आदि को ध्यान में रखकर केवल मात्र यह कहते हुए कि व्यवसाई के द्वारा जानबूझकर वैट–47 में माल की कीमत बिल के बिल से बहुत कम चोरी के इरादे से अंकित की है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई जांच किये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है,जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने बहस के दौरान बताया कि बिल रू. 1,84,727/–अन्त में टोटल ड्यूटी को अंकित किया गया था जबकि माल की कीमत रू. 10,57,173/– अंकित है। उनका कथन है कि दोनों ही आंकडे एक्साईज इनवाईस जो कि नियम 11 सेन्ट्रल एक्साईज रूल्स के तहत जारी किया गया जाता है तथा जिलस बिल को वाणिज्यिक कर अधिकारी, गांधीधाम के द्वारा सत्यापित किया गया है,को गलत माने जाने एपवं गलती से वैट–47 में लिखी हुई राशि को आधार मानकर अन्तर राशि पर शास्ति आरोपित किया जाना अनुचित है। उनका कथन है कि एक्साईज नियम के अन्तर्गत जारी किये गये बिल को माल के प्रेषक व प्रेषिति दोनों व्यवसाईयों की लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है,जिनका किसी भी स्तर पर कटु परीक्षण किया जाना सम्भव है। उनका कथन है कि नियमित बिल बुक वाणिज्यिक कर अधिकारी,गांधीधाम से सत्यापित कराने के कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी,इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी वैट–47 मे गलत रूप से लिखी गयी कीमत को शुद्ध किये जाने की अनुमति मांगे जाने पर भी उसको नही मानकर शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक है।

प्रत्यर्थी की ओर से विशेष रूप से कथन किया गया कि कोई भी व्यक्ति कार्य करते हुए आंकडे पढने, लिखने में गलत हो सकता है जिसका ज्वलन्त उदाहरण कर निर्धारण अधिकारी का आदेश, मांग पत्र एवं रसीद तीनों में ही स्पष्ट द्योतक है। उनका

कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आदेश अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत पारित किया है और मांग पत्र में शास्ति किस धारा में आरोपित की गई है, अंकित नहीं की गई है तथा फार्म वैट–47 रसीद संख्या 091971 राशि रू. 2,77,966/–रू. दिनांक 19.09.2008 धारा 68(3)(ए) के खाते में राशि को जमा किया जाना बताया गया है। इस प्रकार का कृत्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दोषी मनोभाव एवं दस्तावेज को गलत तैयार कर प्रत्यर्थी को देना उनकी गलत मंशा को स्पष्ट करता है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा, जो एक अर्द्ध न्यायिक अधिकारी है, इस प्रकार की बडी भूल कर सकता है तो इसकी तुलना में यदि बिल में राशि के स्थान पर टोटल ड्यूटी की राशि वैट–47 में लिख दिये जाने की करापवंचन का द्योतक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही को अविधिक बताते हुए प्रस्तत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उक्त कथन के अतिरिक्त उन्होंने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण एवं विधिक स्थिति के समस्त पहलुओं को अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के साथ अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 09.09.2008 को वाहन संख्या आर.जे.27 जी ए–5342 को औद्यौगिक क्षेत्र बगरू में कर निर्धारण अधिकारी ने निरीक्षण किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स चौधरी लोजिस्टिक, गांधीधाम की बिल्टी संख्या 055, उर्मि ट्रेडर्स,गांधीधाम की इनवाईस क्रमांक 4 दिनांक 05.09.2008, फार्म वैट–47 क्रमांक 35121734 व फर्मा नमूने 402 क्रमांक 1765539 वास्ते जांच प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि इनवाईस क्रमांक 4 में माल की कीमत रू. 10,57,173/–अंकित है जबकि घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 3511734, फार्म नमूनो 402 क्रमांक 1765539 तथा बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 1,84,727/–अंकित की गयी है। उक्त प्रकार अंकित कीमत में अन्तर होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी अन्तर राशि पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू 2,77,966/–आरोपित की है,जिसको अपीलीय स्तर पर विवादित करने पर, उन्होंने अपास्त किया है,जिसके विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करने से पूर्व, उसकी ओर से प्रस्तुत जवाब/दस्तावेजों का अवलोकन सही ढंग से नहीं किया है। उर्मि ट्रेडर्स द्वारा इनवाइस क्रमांक 4 में Iron Scrap Gr 2 की Total राशि रू. 10,57,173/–अंकित है था इसके अन्त में टोटल ड्यूटा अमाउन्ट रू. 1,84,727/–अंकित है और फार्म वैट–47 व बिल्टी क्रमांक 055 पर माल की कीमत रू. 10,57,173/– के स्थान पर रू. 1,84,727/–अंकित करने की गलती प्रेषक व ट्रांसपोर्ट कम्पनी की भूलवश ऐसा हुआ है। उल्लेखनीय है कि वैट–47 में माल के प्रेषक व प्रेषिति, वहन संख्या, बिल क्रमांक, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से अंकित है, केवल मात्र निर्धारित कीमत के स्थान पर ड्यूटी की राशि लिखा जाना दोषी मनोभाव की श्रेणी में नहीं आता है, यह एक तकनीकी भूल है, जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना अनुचित हीं नही अविधिक भी है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हुए कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए करापंवचन का दोषी नही माना है। यह पीठ अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिये गये निष्कर्ष हस्तक्षेप करने का औचित्य नही समझती है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की ओर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य